Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA No.025/2021
GST Circular No. 020/2021

2018/AC-II/1/57 30th March 2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: - Lower Deduction Certificates issued under Income Tax and allied deductions-Revised EBR-IF Model

Ref: RBA No. 012/2021/ GST Circular No. 010/2021 dated 22nd February 2021

Railway Board vide captioned circular had highlighted certain discrepancies in Tax Deducted at Source (TDS) under Income Tax from payments made to vendors under the revised EBR-IF model as brought out vide IRFC's letter dated 12th February 2021. Now, IRFC vide their letter dated 18thMarch 2021 has mentioned that requisite **details such as Lower deduction certificates have not yet been shared** by the various Zonal Railway/Production Units owing to which the interest amounts on such lower deductions are consequently increasing. It is hereby directed that the requisite certificates and details be shared with IRFC at the earliest and necessary communication be undertaken through mail with gmirfc@gmail.com and gitachauhanca@rediffmail.com. Zonal Railway /Accounting Unit wise transaction details of such pendencies are uploaded under the tab 'Important Links'at below mentioned link:

https://gst.indianrail.gov.in/GSTFrontPage/

Additionally, IRFC's annexed letter *inter alia* brought out **certain other discrepancies in details of TDS fetched from IPAS** for the month of January 2021 and February 2021.It is hereby directed that it shall be duty of Zonal Railway/Production Units to ensure that the transaction details being shared with IRFC are correct and complete and tax deductions are in line with the notified provisions/applicable rates.Zonal Railway /Accounting Unit wise transaction details of such discrepancies shall also be uploaded on aforementioned link under the tab 'Important Links' by 01st April 2021. Accordingly, respective Zonal Railway/Production Units can access the same and provide requisite details at the earliest to the aforementioned e-mail IDs of IRFC. Further, pursuant to revised model of EBR-IF, it is hereby directed that for **Financial Year 2021-22 and period thereafter**, wherever applicable (in respect of EBR-IF

Contracts), the lower deduction certificates issued under Income Tax shall be obtained by vendors in the name and particulars (PAN/TAN) of IRFC i.e. Indian Railway Finance Corporation and not Indian Railways. Requisite correspondences shall be done with the vendors in this respect and they shall be apprised that non-compliance to the same would result in deduction of tax (TDS) at the highest applicable rates in line with the notified provisions under the Income Tax Act or rules made thereunder. The requisite details for the purpose of lower deduction certificates can be obtained by Zonal Railway/Production Units from GM (Finance) of IRFC Mr. N.H. Kannan through mail at gmirfc@gmail.com.

(V. Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
2. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS
3. Mr. N. H. Kannan, General Manager, Indian Railways Finance Corporation Limited, NBCC Palace, Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road,New Delhi, Delhi 110003

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 025/2021
जीएसटी सं. 020/2021

2018/एसी-II/1/57

30 मार्च, 2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: - आयकर तथा उससे संबद्ध कटौतियों के अंतर्गत जारी न्यून कटौती प्रमाण-पत्र - संशोधित ईबीआर-आईएफ मॉडल

संदर्भ: दिनांक 22 फरवरी, 2021 का आरबीए सं. 012/2021/जीएसटी परिपत्र सं. 010/2021

रेलवे बोर्ड ने अपने अनुशीर्षित (Captioned) परिपत्र के तहत संशोधित ईबीआर-आईएफ मॉडल, जिसे आईआरएफसी के दिनांक 12 फरवरी, 2021 के पत्र के तहत स्पष्ट किया गया था, के अंतर्गत वेंडरों को किए गए भुगतानों से आयकर के अंतर्गत स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) में कुछ विसंगतियों को उजागर किया था। अब, आईआरएफसी ने दिनांक 18 मार्च, 2021 के अपने पत्र के तहत यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा अपेक्षित विवरण जैसै न्यून कटौती प्रमाण-पत्र को अभी तक साझा नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न्यून कटौतियों पर ब्याज राशि में वृद्धि हो रही है। एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र और विवरण को शीघ्रातिशीघ्र आईआरएफसी के साथ साझा किया जाए और मेल gmirfc@gmail.com तथा gitachauhanca@rediffmail.com के माध्यम से आवश्यक सम्प्रेषण किया जाए। ऐसे लंबित अपेक्षित विवरणों का क्षेत्रीय रेल/लेखा इकाई-वार लेन-देन ब्यौरे नीचे उल्लिखित लिंक पर टैब 'इम्पॉर्टन्ट लिंक्स' के अंतर्गत अपलोड किये गये हैं:

https://gst.indianrail.gov.in/GSTFrontPage/

इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ आईआरएफसी के संलग्न पत्र में जनवरी, 2021 और फरवरी, 2021 माह के लिए आईपीएएस से वसूल किए गए टीडीएस के विवरण में कुछ अन्य विसंगतियों को स्पष्ट किया गया है। एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि आईआरएफसी के साथ साझा किये जा रहे लेन-देन विवरण सही और पूर्ण है तथा कर कटौतियां अधिसूचित प्रावधानों/लागू दरों की तर्ज पर की गई हैं। ऐसी विसंगतियों के क्षेत्रीय रेल/लेखा इकाई-वार लेन-देन विवरण 01 अप्रैल, 2021 तक टैब 'इम्पॉर्टन्ट लिंक्स' के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित लिंक पर भी अपलोड किये जाएंगे। तदनुसार, संबंधित क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाइयां इसे एक्सेस कर सकती हैं और आईआरएफसी की ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित विवरण उपलब्ध करा सकती हैं। इसके अलावा, ईबीआर-आईएफ के संशोधित मॉडल के अनुसार, एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 और उसके पश्चात् की अवधि के लिए जहां कहीं लागू हो (ईबीआर-आईएफ संविदाओं के संबंध में), आयकर के अंतर्गत जारी न्यून कटौती प्रमाण-पत्र आईआरएफसी अर्थात् भारतीय रेल वित्त निगम के नाम और विवरण (पीएएन/टीएएन) पर वेंडरों द्वारा लिया जाएगा न कि भारतीय रेल के नाम पर। इस संबंध में वेंडरों के साथ अपेक्षित पत्राचार किया जाएगा और उन्हें अवगत कराया जाएगा कि इसका अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अधिसूचित प्रावधानों की तर्ज पर उच्चतम लागू दरों पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी। न्यून कटौती प्रमाण-पत्र के प्रयोजन के लिए अपेक्षित विवरण ईमेल gmirfc@gmail.com के माध्यम से आईआरएफसी के महाप्रबंधक श्री एन. एच. कण्णन से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(वी. प्रकाश)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस
3. श्री एन. एच. कण्णन, महाप्रबंधक, भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, एनबीसीसी पैलेस, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003.